न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. साधना शर्मा (RAS)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 10/2024 दायर दि. 15.10.2024

उनवान

सुण्डाराम पुत्र श्री पेमाराम जाति जाट निवासी अवधपुरी तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान । प्रार्थी

बनाम

1. तोताराम पुत्र चन्दर जाति जाट निवासी अवधपुरी तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
2. प्रहलाद पुत्र नारायण जाति अहीर निवासी ढाणी डोबा, अवधपुरी तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
3. धन्शीराम यादव पुत्र शिम्भू दयाल यादव
4. रामनिवास यादव पुत्र शिम्भू दयाल यादव
5. रामावतार यादव पुत्र शिम्भू दयाल यादव समस्त जाति अहीर निवासी अवधपुरी तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

निर्णय दिनांकः 24.12.2025

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी हाल खसरा नंबर 267/3/0.6834 है० वाके मौजा अवधपुरी पटवार हल्का बड़नगर तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान में स्थित है। जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदार व कब्जेकाश्त की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 267/3/0.6834 है० वाके मौजा अवधपुरी पटवार हल्का बड़नगर तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान में आने–जाने का कोई रास्ता वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड पर उपलब्ध नही है।

2.आराजी हाल खसरा नम्बर 261/0.91,263/1/0.88, 263/0.03 है० वाके मौजा अवधपुरी पटवार हल्का बड़नगर तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान का खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 है, प्रार्थी उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के उत्तरी दिशा के डोल के सहारे–सहारे प्रार्थी अर्सा कदीम से अपने खेत में आता–जाता है, अपने वाहन, पशु वगैरह लाता ले जाता चला आ रहा है, उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपने खेतों में आने–जाने वाहन आदि लाने ले जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। उक्त रास्ते को संलग्न नजरी नक्शे में बसुर्ख लाल लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है।

3. प्रार्थी की आराजी हाल खसरा नम्बर 267/3/0.6834 है० वाके मौजा अवधपुरी पटवार हल्का बड़नगर तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान में आने–जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं प्रार्थी की आराजी में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 की 262/0.62 भूमि खसरा नम्बर 261/0.91, 263/1/0.88, 263/0.03 है० वाके मौजा अवधपुरी पटवार हल्का बड़नगर तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान की भूमि के उत्तरी दिशा के डोल के सहारे–सहारे स्थित है, जिसे संलग्न नक्शे में बरंग सुर्ख लाल रंग से दर्शाया गया है, जिसमें सुगमता से रास्ता उपलब्ध हो सकता है जिस हेतु प्रार्थी, अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 को उचित मुआवजा दिये जाने हेतु तैयार है। परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 नें प्रार्थी को रास्ता देने से साफ इन्कार कर दिया है एवं प्रार्थी के पास अपनी उपरोक्त वर्णित आराजी में आने–जाने हेतु कोई सुगम रास्ता उपलब्ध नही है।

4. वाद कारण प्रार्थी की भूमि में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 द्वारा रास्ता दिये जाने से गत सप्ताह इन्कार करने से पैदा हुआ है अतः प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है। आराजी मुतदाविया व फरीकेन न्यायालय श्रीमान के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, अतः श्रीमान को प्रार्थना–पत्र सुनने व तैय करने का अधिकार प्राप्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनूसूची के तहत फिक्स कोर्ट फीस 2/– रुपये पर प्रार्थना पत्र पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

5. अतः सेवामें प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 267/3/0.6834 है० वाके मौजा अवधपुरी पटवार हल्का बड़नगर तहसील पावटा, जिला कोटपूतली– बहरोड़, राजस्थान में आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 05 की खातेदारी भूमि हाल आराजी खसरा नम्बर 261/0.91, 262/0 263/1/0.88, 263/0.03 है० वाके मौजा अवधपुरी पटवार हल्का बड़नगर तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान की भूमि के उत्तरी दिशा के डोल के सहारे सहारे स्थित है जिसे संलग्न नक्शे में बरंग सुर्ख लाल रंग से दर्शाया गया है, में दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

6. पत्रावली बाद जांच दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03 मय अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 04 व 05 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 29.01.2025 को तहसीलदार पावटा को रास्ते की मौका वस्तुस्थिति रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 20.06.2025 को तहसीलदार पावटा से रास्ते की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गयी। अप्रार्थी सं. 02 की ओर से दिनांक 01.08.2025 को आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम अवधपुरी खाता संख्या 254 सवत् 2076–2079, नक्शा ट्रेस ग्राम अवधपुरी आदि पेश किये।

7. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। हमने बहस पर गोर किया तथा प्रकरण के तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड शाहदत एवं तहसीलदार पावटा की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर मनन किया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 267/3 वाके मौजा अवधपुरी प०ह० बडनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान में आवमगन तथा पहुंच के लिए ग्राम अवधपुरी स्थित अप्रार्थीगण की आराजी आ.ख.नं. 261 में से प्रस्तावित रकबा 0.0816 है0 के उत्तरी व पूर्वी डोल, ख.न. 263/1 में से प्रस्तावित रकबा 0.0464 है0 की उत्तरी डोल एवं ख. नं. 263 में से प्रस्तावित रकबा 0.0016 है0 में उत्तर से खसरा नम्बर 267/3 तक है जिसकी कुल लम्बाई 324 x 4 = 0.1296 है0 (1296 वर्गमीटर) है लेकिन उक्त रास्ते में ख.न. 261 व डामर सड़क के मध्य की दूरी 120 मी. जो कि ख.न. 417 किस्म गै.मु. नदी है इस प्रकार पहुंच सुनिश्चित नही है। प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार पावटा की ओर से प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2025 के आधार पर प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाया जाना हम उचित एव न्यायसंगत समझते हैं। इस प्रकार वकील अप्रार्थी द्वारा पेश आपत्ति/उज्रात प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तहसीलदार पावटा से प्राप्त रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित। ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार रास्ते की भूमि का मुआवजा निर्धारित कर रास्ता स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

6. फलतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 तहसीलदार पावटा की रिकार्ड एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 20.06.2026 के आधार पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 267/3/0.6834 हैक्टयर भूमि वाके मौजा अवधपुरी प०ह० बडनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान में आवमगन तथा पहुंच के लिए ग्राम अवधपुरी स्थित अप्रार्थीगण की आराजी आ.ख.नं. 261 में से प्रस्तावित रकबा 0.0816 है0 के उत्तरी व पूर्वी डोल, ख.न. 263/1 में से प्रस्तावित रकबा 0.0464 है0 की उत्तरी डोल एवं ख.नं. 263 में से प्रस्तावित रकबा 0.0016 है0 में उत्तर से खसरा नम्बर 267/3 तक है जिसकी कुल लम्बाई 324 वर्गमीटर है। खसरा नम्बर 261 की उत्तरी डोल से लेकर खसरा नम्बर 263 तक कुल 324 x 4 = 0.1296 हैक्ट0 (1296 वर्गमीटर) का रास्ता (तहसीलदार पावटा से प्राप्त प्रस्ताव प्रथम अनुसार) खसरा नम्बर 267/3 की सीमा तक रास्ता दिया जाना उचित हैं इस प्रकार तहसीलदार पावटा से प्राप्त रास्ता मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2025 के प्रथम प्रस्ताव अनुसार 1296 वर्गमीटर भूमि (अप्रार्थीगण की जोत से प्रार्थी की जोत तक) गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

तथा तहसीलदार पावटा को आदेश दिये जाते हैं कि वे उक्त स्वीकृत रास्ते की भूमि की खातेदारी में से अप्रार्थीगण का नाम कलमजन कर उक्त गैर मुमकिन रास्ते की भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दर के हिसाब से भूमि की कीमत का आंकलन कर उसका दोगुणा प्रतिफल की राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थीगण (खातेदारान) को राजस्व रिकार्ड में दर्ज उनके हिस्से की भूमि के रकबे अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही करें तथा स्वीकृत रास्ते की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम करवावें। तहसीलदार पावटा की रिकार्ड एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 20.06.2025 इस निर्णय की जुज समझी जावे। अप्रार्थीगण को हमेशा–हमेशा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त रास्ते की भूमि में प्रार्थी के आवागमन व उपयोग एवं उपभोग में कोई बाधा तथा अवरोध उत्पन्न नहीं करें। तदानुसार तहसीलदार पावटा को पालनार्थ निर्णय की प्रति के साथ तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डा. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)